



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102022-239418
CG-DL-E-07102022-239418

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4514]
No. 4514]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2022/ आश्विन 14, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2022/ASVINA 14, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2022

का.आ. 4724(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, १९६२ (१९६२ का ५०) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ की उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. ७० (अ) तारीख ०४ जनवरी २०२२ द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के आन्ध्र प्रदेश में संरचनाओं से महाराष्ट्र राज्य में, रायगड जिले के विभिन्न उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मेसर्स रिलायन्स गैस ट्रान्सपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अभी की पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम से ज्ञात द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई गई थी;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को तारीख ०६ जनवरी २०२२ को उपलब्ध करा दी गई थी;

और पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता की ओर से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और अननुज्ञात कर दिया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाई है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा ६ की उपधारा ४ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार उस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड अभी की पाईपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

मंडल/तहसील/तालुका : कर्जत	जिला : रायगड	राज्य : महाराष्ट्र		
गाँव का नाम	सर्वे सं/सब डिविजन सं	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	सि-एयर
1	2	3	4	5
1) कडाव	108/3**	00	33	00
2) वकास	47/1/ब*	00	37	00
	49/17**	00	26	00
	49/5**	00	58	00
3) टाकवे	64/8*	00	06	30

*का.आ. 2844 (अ) दिनांक. 05/11/2009 मे 3(1) की अधिसूचना का अतिरिक्त क्षेत्रफल

**का.आ. 574 (अ) दिनांक. 11/03/2010 मे 3(1) की अधिसूचना का अतिरिक्त क्षेत्रफल

[फा. सं. एल-14014/180/2021-जीपी-II (ई-40693)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2022

S.O. 4724(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 70 (E) dated the 04th January 2022, issued under sub-section (1) of section (3) of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land, specified in the Schedule appended to that notification where a pipeline was laid for transportation of natural gas from the sources in the State of Andhra Pradesh of M/s Reliance Industries Limited, to various consumers in the country by M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited, now known as Pipeline Infrastructure Limited.

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 6th January 2022;

And whereas objections received from the public for acquisition of right of user for the said pipeline had been considered and disposed by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section (6) of the said Act, submitted report to the Central Government for acquisition of Right of User in lands appended to the Schedule;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for the pipeline laid, has decided to acquire the right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule, appended to this notification, are hereby acquired;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Government of India,

vest, on the date of the publication of the declaration, in M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited, now known as Pipeline Infrastructure Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

Mandal/Tehsil/ Taluk: Karjat	District :Raigad	State: Maharashtra		
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to be acquired for ROU		
		Hec.	Are	C-Are
1	2	3	4	5
1) Kadav	108/3**	00	33	00
2) Vakas	47/1/B*	00	37	00
	49/17**	00	26	00
	49/5**	00	58	00
3) Takve	64/8*	00	06	30

* Additional Survey Nos. to 3(1) Notification S.O. No.2844 (E) dated 05.11.2009.

** Additional Survey Nos. to 3(1) Notification S.O. No.574 (E) dated 11.03.2010.

[F. No. L-14014/180/2021-GP-II(E-40693)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.